

(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

दिनांक : 28 जुलाई, 2014

सां. अ. - भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 19 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने एतद्वारा 20 अगस्त, 2014 या दूसरे सदस्य की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील अधिकरण (एईआरएटी) के अध्यक्ष तथा सदस्य के रूप में क्रमशः न्यायमूर्ति वी.एस. सिरपुरकर तथा श्री राहुल सरीन की नियुक्ति के साथ विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपील अधिकरण (एईआरएटी) की पुनर्संरचना की है।

आलोक सिन्हा
(आलोक सिन्हा)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार
(फाईल सं. ए-12023/001/2009-एडी)

सेवा में

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी, रिंग रोड,
नई दिल्ली।

प्रति प्रेषित :

1. भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. श्री न्यायमूर्ति वी.एस. सिरपुरकर, अध्यक्ष, एईआरएटी।
3. श्री राहुल सरीन, सदस्य, एईआरएटी।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II,
SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

Government of India
Ministry of Civil Aviation

NOTIFICATION

Dated the 28th July, 2014

S.O. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 19 of the Airports Economic Regulatory Authority of India Act, 2008, the Central Government hereby reconstitutes Airport Economic Regulatory Authority Appellate Tribunal (AERAAT) with appointment of Justice V.S. Sirpurkar and Shri Rahul Sarin, as Chairperson and Member respectively of AERAAT upto 20th August, 2014 or till the second Member is appointed, whichever is earlier.


(Alok Sinha)

Joint Secretary to the Government of India
[File No.A.12023/001/2009-AD]

To,

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road,
New Delhi. (with Hindi version)

Copy to:

- (1) Hon'ble Chief Justice of India, Supreme Court, New Delhi.
- (2) Shri Justice V.S. Sirpurkar, Chairperson of AERAAT.
- (3) Shri Rahul Sarin, Member of AERAAT.